Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 11, November-2019, ISSN 2230-7540

बिहार में उद्यानिक कृषि को प्रोत्साहन

Smita Dubey*

Research Scholar, Department of Economics, Veer Kunwar Singh University, Arrah, Bihar

सार – ***बिहार पूर्णतया कृषि पर ही निर्भर राज्य है. 2016-17 में बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 21.2 प्रतिशत और 2017-18 में मामूली कमी के साथ यह 19.7 प्रतिशत था। परंतु किसानों की आय बढ़ाने के लिये आवश्यक है कि वे पारम्परिक फसलों के साथ-साथ सब्जियों, फलों और फूलों की खेती में भी कदम आगे बढ़ाएँ। इनमें पारम्परिक फसलों की तुलना में लागत कम है और बाजार में अच्छी कीमत मिलने से लाभ की उम्मीद भी अधिक है। बिहार को राष्ट्रीय मानचित्र पर छाने के लिये कई प्रयास करने की आवश्यक्ता है। ऐसे में 'राज्य उद्यानिक उत्पाद विकास योजना' का एक खास महत्व है। इस पंचवर्षीय योजना में किसानों को उस जिले के लिये चिन्हित खास उद्यानिक फसल को ही उगाने का आग्रह किया जायेगा। इससे उत्पाद के मार्केटिंग में सहूलियत होगी और उसका सीधा फायदा किसान को होगा।***

मुख्य शब्द – ***बिहार, उद्यानिक उत्पाद, कृषि, बिहार राज्य उद्यानिक उत्पाद विकास योजना***

----------X----------

मुख्य आलेखः

उद्यानिक कृषि को भारतीय किसानों की आय बढ़ाने का एक अच्छा तरीका माना जा रहा है. किसानों को इस दिशा में प्रोत्साहित करने हेतु कई कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं. अगस्त के अंतिम सप्ताह में बिहार सरकार के कृषि मंत्री श्री प्रेम कुमार ने 'बिहार राज्य उद्यानिक उत्पाद विकास योजना' की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार उद्यानिक उत्पादों को बढ़ावा देते हुए लागत का 90 प्रतिशत किसानों को मदद के रूप में देगी.

आज देश के हालात आर्थिक मन्दी की ओर इशारा कर रहे हैं जिससे किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गयी है. बिहार जैसे राज्य तो पूर्णतया कृषि पर ही निर्भर हैं. 2016-17 में बिहार की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान 21.2 प्रतिशत और 2017-18 में मामूली कमी के साथ यह 19.7 प्रतिशत था. राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में अकेले खेती का योगदान इन दो वर्षों में 12.7 और 11.1 प्रतिशत रहा है. मगर बढ़ती जनसंख्या और घटती कमाई के कारण आज सिर्फ खेती से अपना और अपने परिवार का पालन करना किसान के लिये कठिन है. सीमित संसाधन (जमीन, जल, बिजली आदि), तकनीकीकरण की बढ़ती कीमत के साथ-साथ सरकारी उदासीनता ने बिहार कृषि जगत को बाजारीकरण के मूल लाभ से वंचित रखा है.

बिहार में मूलतः अनाज की खेती होती थी. 2017-18 में भी 85 से अधिक खेतिहर जमीन अनाज उगाने के ही प्रयोग में थी. परंतु किसानों की आय बढ़ाने के लिये आवश्यक है कि वे पारम्परिक फसलों के साथ-साथ सब्जियों, फलों और फूलों की खेती में भी कदम आगे बढ़ाएँ. इनमें पारम्परिक फसलों की तुलना में लागत कम है और बाजार में अच्छी कीमत मिलने से लाभ की उम्मीद भी अधिक है.

73वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल क़िले से राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर अपनी सरकार की नीतियों का उल्लेख किया. देश को वर्तमान $3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था से $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को दोहराते हुए उन्होंने कृषि के महत्व को रेखाँकित किया. उन्होंने कृषि उत्पादों के निर्यात पर जोर देते हुए कहा 'दुनिया के...हमारे अन्दर .. हमारे किसानों के द्वारा पैदा की हुई चीजों का डंका क्यों न बजे?' आगे, उन्होंने हर जिले को 'एक्सपोर्ट हब' बनाने की बात भी कही. 'राज्य उद्यानिक उत्पाद विकास योजना' से कुछ ऐसी ही पहचान बिहार के हर जिले को मिल सकती है.

1991 में देश की आर्थिक व्यवस्था में एक ज़बरदस्त बदलाव लाया गया. उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकरण अर्थव्यवस्था के हर घटकपर अपनी छाप छोड़ रहे थे और इस नई आर्थिक नीति के दूरगामी परिणाम कुछ ही वर्षों में दृष्टिगोचर भी होने लगे. परंतु, उदारीकरण और बाजारीकरण

की यह नीति कृषि क्षेत्र में पहले तो लायी ही नहीं गई और 1994-95 के बाद जब इस क्षेत्र में बदलाव लाने की सरकारी पहल की गयी तो वह एक सीमित क्रिया ही रही. ऐसा माना गया कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विकास का असर कृषि पर भी होगा और यहाँ खुली नीति के बजाय विदेशी उत्पादों से संरक्षण ज्यादा ज़रूरी है.

1995 में विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) की स्थापना के बाद कृषि को डब्लूटीओ के समझौते के अंतर्गत लाया गया. ऐसी मान्यता थी कि भारत जैसे विकासशील देश अपने कृषि उत्पाद विश्व के दूसरे देशों में आसानी से बेच पायेंगे. परंतु, आज भी विकसित देश नाना प्रकार के दोहरे मापदण्ड अपना कर इन देशों के उत्पादों को अपने यहाँ बिकने नहीं देते. वहाँ के बाजारों में उपस्थिती बनाने के लिये आवश्यक है कि हमारे कृषि उत्पाद उन मापदण्दों पर खरे उतरें. इस दिशा में दिसम्बर 2018 में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित 'कृषि निर्यात नीति' अपने-आप में एक मील का पत्थर है. इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि निर्यात को वर्तमान $30 बिलियन से बढ़ाकर अगले पाँच वर्षों में दुगुना यानी $60 बिलियन करना है और तदोपरांत $100 बिलियन तक जाना है. इस नीति में जैविक और उद्यानिक उत्पादों को खास स्थान दिया गया है. चूंकी संविधान के अनुसार कृषि राज्य सूची का विषय है, अतः नई निर्यात नीति में केन्द्र और राज्य सरकार दोनों की अहम भूमिका है. साथ ही साथ सरकारी और निजी प्रयास से उत्पादन तथा खाद्य प्रसंस्करण में विविधता, गुण्वत्ता और मूल्य-वृद्धि आदि उद्देश्य निर्यात नीति के अभिन्न अंग हैं. पूर्व के 'छत्र-दृष्टिकोण' से इतर इस नीति में राज्यों में छोटे-छोटे क्लस्टर बना कर उचित मार्गदर्शन देते हुए लाभकारी निर्यात इकाइयों में विकसित किया जाएगा. फिर इन क्लस्टर्स की उन्नति आस-पास के अन्य किसानों को भी वैसी नीति अपनाने को प्रोत्साहित करेगी.

परंतु कृषि प्रधान प्रदेश होने के बाद भी कृषि निर्यात नीति में बिहार को खास स्थान नहीं मिला है. अतः राज्य को राष्ट्री य मानचित्र पर छाने के लिये कई प्रयास करने की आवश्यक्ता है. ऐसे में 'राज्य उद्यानिक उत्पाद विकास योजना' का अपना एक महत्व है. अब तक अखबारों से जो तथ्य विदित हुए हैं, उनके अनुसार राज्य सरकार 50-50 हेक्टेयर में किसानों के समूह या क्लस्टर बनाएगी. हर क्लस्टर में जिन किसानों के खेत होंगे, उनसे उस जिले के लिये चिन्हित खास उद्यानिक फसल को ही उगाने का आग्रह किया जायेगा. इससे उत्पाद के मार्केटिंग में सहूलियत होगी जिसका सीधा फायदा किसान को होगा.

जिलों में मौसम व मिट्टी के अनुसार ही फसलों का चयन किया जायेगा. इस प्रकार हर जिला एक खास उद्यानिक फसल के लिये जाना जायेगा द जैसे भोजपुर में हरा मटर, मुज़फ्फरपुर व समस्तीपुर में लीची, रोहतास में टमाटर, समस्तीपुर व अररिया में मिर्च, पूर्वी चम्पारण में लहसुन, शेखपुरा व बक्सर में प्याज, नालन्दा में आलू आदि. इससे उक्त जिले के किसानों को 'ब्रांडिंग' का लाभ मिलेगा और उसकी समूचित कीमत मिलेगी. योजना के अगले चरण में आम, हल्दी, अनानास, केला, अमरूद, पपीता, आँवला, गेंदा, गुलदाउदी, धनिया जैसे फल, फूल व मसाले अन्य जिलों में उगाये जायेंगे.

इस पंचवर्षीय योजना को चरणबध तरीके से लागू किया जायेगा. पहले साल में किसान समूहों का गठन किया जायेगा. धाँचागत सुविधायें, प्रसंस्करण मशीनों आदि की स्थापना के लिये पैसे भी उपलब्ध कराये जायेंगे. कुल लागत का मात्र 10 प्रतिशत किसान को लगाना है और बिहार सरकार बाकी 90 प्रतिशत लागत मुहैया करायेगी. दूसरे और तीसरे साल सरकार ऐसी अन्य सुविधायें जारी रखेगी ताकि उक्त क्लस्टर सही ढंग से स्थापित हो सकें. जूस, जैम, जेली, स्क्वैश, फ्लेक्स और पाउडर आदि तैयार कर क्लस्टर से बाजार तक पहुंचाने के उपाय किये जायेंगे. आखिरी दो साल राज्य सरकार निगरानी, सलाह और सहूलियत देने का काम करेगी. तब तक ये इकाइयां आत्म-निर्भर हो जायेंगी क्योंकि उद्यानिक फसल में शुरू के तीन साल ही पूंजी की आवश्यकता रहती है, उसके बाद किसान को मुनाफा होगा क्योंकि उनकी लागत की भरपाई पूरी हो चुकी होगी .

यह महत्वकांशी योजना राज्य सरकार द्वारा बिहार कृषि को आगे बढ़ाने का प्रयास है. परंतु सिर्फ योजना घोषित करना पर्याप्त नहीं. इसके क्रियांवन में आने वाली कठिनाइयों को भाँपते हुए उन्हें सुलझाने के उपाय भी करने होंगे. बिहार के परिपेक्ष्य में नीति आयोग की रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिये गये हैं जो इस योजना को सफल बनाने हेतु लागू किये जाने चाहिये. बीज के साथ-साथ फलों और फूलों की नयी पौध को अनवरत तैयार करने के उपाय करने होंगे. साथ-साथ प्रदेश की मौलिक और परम्परागत किस्मों के बचाव और विस्तार के भी प्रयास करने होंगे. कृषि उत्पादों के लिये देश और विदेश में बाजार की उपलब्धता पर सरकार को विशेष ध्यान देना होगा. प्रदेश में भंडारण की सुविधाओं की कमी है, जिसके कारण किसान अपने उत्पाद देश के अन्य शहरों में भी नहीं बेच सकते. विदेशी बाज़ार तक तो बिहारी कृषि उत्पाद अभी पहुँच भी नहीं पा रहे. यहाँ तक कि राष्ट्री य निर्यात नीति 2018 में बिहार को कोई खास महत्व नहीं मिलने के पीछे धाँचागत सुविधाओं की कमी भी एक कारण है. अतः

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी लाने के लिये प्रदेश में कई सार्थक उपाय करने की आवश्यक्ता है.

राज्य के बहुसंख्य जोत छोटे और सिमांत किसानों की हैं. पिछले कुछ सालों में इन सिमांत खेतों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो किसानों में बढ़ती गरीबी का द्योतक है. इन किसानों के लिये महंगी नई तकनीक अपनाना कठिन है. इसलिये उनको पारम्परिक खेती से बहुत लाभ नहीं होता. ऐसी स्थिति में 'एकिकृत' या 'समंवित' खेती अपना कर किसान आसानी से अपनी आय बढ़ा सकते हैं.

बिहार के 'वर्मी-कम्पोस्ट और जैविक खाद कार्यक्रम' का नीति आयोग के 'बिहार कृषि कार्य-दल की रिपोर्ट' (2015) में उल्लेख किया गया है. इस कार्यक्रम को सुदृढ़ करते हुए फूलों और सब्जियों के उत्पादन को अधिक प्रोत्साहित करने की जरूरत है. आज के उपभोगता, कीटनाशक या कृत्रिम खाद वाली सामग्री खरीदने के बजाय कुछ अधिक कीमत देकर जैविक पद्धति से उगाए गये फल और सब्जियाँ खरीदने को तैयार हैं. बिहार, इस दिशा में पहल करते हुए ना सिर्फ राष्ट्री य अपितु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी साख बना सकता है.

अभी प्रदेश में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता जाँच, गुणवत्ता नियंत्रण और नियमित जाँच की समुचित व्यवस्था में बहुत कमी है. अतः ज़रूरत के हिसाब से जाँच अभिकरण की स्थापना आवश्यक है. साथ-ही-साथ इन अभिकरण के प्रमाण-पत्र की वैश्विक स्विकार्यता होनी चाहिये. तब कहीं बिहारी किसान अपनी सामग्री के लिये अच्छी कीमत पा सकेंगे. सरकार द्वारा एग्रिकल्चर एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवेलपमेंट अथॉरिटी (अपेदा) और बिहार राज्य बीज तथा जैविक प्रमाणिकरण एजेंसी (बससोका) इस के लिये अधिकृत हैं. आम जनता, खासकर किसानों, को इनके द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र की जानकारी दी जानी चाहिये.

उचित भंडारण और तेज परिवहन सुविधाओं के बिना उद्यानिक उत्पादों के रूप-रंग और टिकाउपन पर बुरा असर पड़ता है, जिसका खामियाजा किसान को ही भुगतना पड़ता है. अतः इस योजना को सफ़ल बनाने के लिये राज्य सरकार को इन मुद्दों पर विशेष ध्यान देना होगा.

तीसरे कृषि रोड-मैप (2017-22) में फलों और सब्जियों की जैविक खेती पर विशेष बल दिया जा रहा है. बिहार की भूगोलिय स्थिति और मौसम के अनोखे मेल के कारण राज्य के अनेक हिस्सों में बाढ़ और सूखा एक ही समय में दिखते हैं. परंतु, भूमि की उर्वरता और जल-संसाधन के बेहतर प्रयोग से यह 'उद्यानिक उत्पाद विकास योजना' किसानों और ग्रामीण इलाकों में विकास की लहर ला सकती है. इसके लिये सरकार को भी दृढ़ निश्चय से काम करना होगा ताकि योजना सिर्फ कागज पर न रह जाय, अपितु यथार्थ में इसका लाभ बिहार की जनता को मिले.

सन्दर्भ सूची

1. Finance Department, Bihar Economic Survey 2018-19, Government of Bihar, Page 8, Table 1.4
2. Finance Department, Bihar Economic Survey 2018-19, Government of Bihar, Page 8, Table 1.4
3. Finance Department, Bihar Economic Survey 2018-19, Government of Bihar, Page xxi
4. PM Modi addresses nation on 73rd Independence Day, accessed at https://youtu.be/JEsbMofKKio
5. Department of Commerce, Agriculture Export Policy, Government of India,2018, page 7
6. https://m.dailyhunt.in/news/india/hindi/rtinews-epaper-rtin/bihar+kisano+ko+udyanik+utpad+vikas+yojna+me+90+pratishat+ka+anudan-newsid-133321140
7. Bihar : kisano ko udyanik utpad vikas yojna mein 90 pratishat tak ka anudan- Taaza Khoj/ DailyHunt Lite accessed at https://m.dailyhunt.in/news/india/taaza+khoj-epaper-taazkhoj/bihar+kisano+ko+udyanik+utpad+vikas+yojna+mein+90+pratishat+tak+ka+anudan-newsid-133298816
8. Niti Aayog, Report of the Task Force on Agriculture, pages 9-12, accessed at http://niti.gov.in/writereaddata/files/Bihar.pdf
9. Finance Department, Bihar Economic Survey 2018-19, Page 96, accessed at https://www.adriindia.org/images/report/1549963202Economic-Survey-2019-EN.pdf
10. Niti Aayog, Report of the Task Force on Agriculture, page 63, accessed at http://niti.gov.in/writereaddata/files/Bihar.pdf

Corresponding Author

Smita Dubey*

Research Scholar, Department of Economics, Veer Kunwar Singh University, Arrah, Bihar